

नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड

रेशम उद्योग के परिपेक्ष्य में लक्ष्य वर्ग अथवा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नागरिकों की अवधारणा काफी व्यापक है, जैसे-इच्छुक उद्यमी/व्यवसायी, जो उद्योग अंगीकृत करना चाहते हैं, इस श्रेणी में वे सभी युवक, युवतियां, कृषक, बेरोजगार आदि वर्ग के सभी व्यक्ति समावेशित हैं, जिनको विभाग द्वारा निःशुल्क तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा जिनके द्वारा इस उद्योग का अंगीकरण किया जा चुका है। लक्ष्य वर्ग के अन्तर्गत निम्न नागरिक आते हैं:-

- नर्सरीकर्ता
- वृक्षारोपक
- रेशम सहकारी समितियां, समूह, संगठन जो चाँकी कीटपालन का कार्य करते हैं।
- कीटपालक व कोया उत्पादक

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के सभी कार्मिक भी उक्त श्रेणी में आते हैं।

क्र० सं०	कार्य/क्रियाकलाप का विवरण	कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा	टिप्पणी
अ	नागरिकों से सम्बन्धित		
1	विभागीय क्रियाकलापों को अंगीकृत करने (यथा वृक्षारोपण कीटपालन आदि) सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही	15 दिवस	पत्र प्राप्ति के बाद
2	वृक्षारोपण हेतु भोज्य पौधों की मांग आपूर्ति पर कार्यवाही	15 दिवस	वृक्षारोपण हेतु पौधा मांग नर्सरी स्थापना के पूर्व प्राप्त होनी चाहियें।
3	शहतुत पौधशाला हेतु शहतुत कटिंग की आपूर्ति पर कार्यवाही	15 दिवस	पौधशाला स्थापना काल अवधि में, पौधालय स्थापना हेतु अनुरोध पत्र 03 माह पूर्व
4	पौधालय स्थापना एवं रख-रखाव की तकनीकी जानकारी एवं सुझाव	15 दिवस	-
5	पंजीकृत पौधशालायों से पौधों की आपूर्ति	30 दिवस	वृक्षारोपण काल में
6	कीटपालन से पूर्व विशुद्धिकरण हेतु अनुरोधों पर कार्यवाही	15 दिवस	-
7	चाकीकृत रेशम कीटों की आपूर्ति की कार्यवाही	कीटपालन फसल अवधि में 03 दिन के भीतर	पुराने कीटपालकों हेतु।

8	रेशम कीटों में बीमारी के निदान की कार्यवाही	24 घंटे के अन्दर	-
9	तैयार रेशम कोयों का विपणन यू०सी०आर०एफ० के माध्यम से कराना	03 से 05 दिवस	कोसोत्तर कार्य यू०सी०आर०एफ० द्वारा किये जाते है।
10	रेशम कोयों का कृषकों का भुगतान यू०सी०आर० एफ० से सुनिश्चित कराना	01 दिवस (स्थल भुगतान)	कोसोत्तर कार्य यू०सी०आर०एफ० द्वारा किये जाते है।
11	विभाग के क्रियाकलापों का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही	25 दिवस	
12	रेशम कीटपालन इकाई की स्थापना (रेशम) कीटपालन गृह, रेशम कीटपालन उपकरण आदि) की मांग सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही	20 दिवस	चिन्हित क्षेत्रों में
ब	प्रशासनिक (कार्मिकों से सम्बन्धित)		
1	वार्षिक वेतन वृद्धि	निर्धारित माह में	अन्यथा अनुरोध प्राप्त होने पर 01माह
2	समयमान वेतन की स्वीकृति/अग्रसारण	निर्धारित माह में	अन्यथा अनुरोध प्राप्त होने पर 01माह
3	भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम निस्कासन सम्बन्धी अनुरोधों की स्वीकृति/अग्रसारण	15 दिवस	निदेशालय या शासन से होने की दशा में 01 माह
4	चिकित्सा/अर्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति/अग्रसारण	15 दिवस	-
5	पेंशन/ग्रेजुटी सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही	01 माह	-
6	पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही/अग्रसारण	01 माह	-
7	कार्मिकों के अन्य विभिन्न देयकों पर कार्यवाही/अग्रसारण	25 दिवस	-